1.

माननीया मंत्री,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार-सह-
अध्यक्ष, सामान्य निकाय
नेतरहाट विद्यालय समिति।

1. नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय की दिनांक 20-05-2015 को आहूत बैठक की कार्यवाही संचिका के पत्राचार भाग पर रक्षित।

2. तदनुसार, कंडिका अन्यान्य 11 ड. नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा वर्ष 2013 में नियुक्त उपदेष्टा सहित 8 शिक्षक 1 प्रशासनिक पदाधिकारी तथा प्राचार्य की सेवा सम्पुष्टि सम्बन्धी पत्र भी पत्राचार भाग पर रक्षित।

अनुमोदनार्थ समर्पित।

[signature]
20/05/15
प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव
नेतरहाट विद्यालय समिति
नेतरहाट

[signature]
20/5/15
डा० नीरा यादव
मंत्री
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

<u>नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की दिनांक 20.05.2015 को डॉ0 नीरा यादव, माननीया मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाहीः–</u>

1. उपस्थितिः संलग्न है।

बैठक में सदस्यों के अनुपस्थिति की स्थिति में नियमानुसार विधिवत अनुपस्थिति अवकाश की स्वीकृति का आवेदन अध्यक्ष को समर्पित किया जाना अपेक्षित है। समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 12 सदस्यों में 6 सदस्यों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष द्वारा आपत्ति जतायी गई एवं अपने निजी सचिव को सभी अनुपस्थित सदस्यों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने संबंधी **'कारण पृच्छा'** का निर्देश दिया गया।

बैठक में विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार–सह–उपाध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समिति के विशेष कार्य पदाधिकारी को अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में व्यस्त होने तथा श्रीमती आराधना पटनायक, सचिव –मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड –सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा माननीया मंत्री महोदया को मुख्यमंत्री सचिवालय में आहूत बैठक हेतु अपनी व्यस्तता की संसूचना दी गई थी।

2. मद संख्या 01 : विगत बैठक दिनांक 28 जनवरी 2014 की कार्यवाही की संपुष्टि।

नेतरहाट विद्यालय समिति की विगत बैठक दिनांक 28 जनवरी 2014 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

3. मद संख्या 02 : विगत बैठक दिनांक 28.01.2014 की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा।

(i) विगत बैठक की कार्यवाही की कंडिका 3(क)(iv) जिसमें प्राचार्य को यह निदेश दिया गया है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम को सी0बी0एस0ई0 से संबंद्वता हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई कार्यकारिणी समिति के सहयोग से की जाय। उक्त निदेश के आलोक में विद्यालय प्राचार्य द्वारा सी0बी0एस0ई0 से संबंद्धता हेतु सभी आवश्यक शर्तों के साथ आवेदन विहित समयावधि में समर्पित किये जाने की बात बताई गई। उत्तर स्वरूप सी0बी0एस0ई0 ने विद्यालय द्वारा समर्पित आवेदन में कुछेक दास्तावेजों के अनुपलब्ध रहने की सूचना दी गई। सी0बी0एस0ई0 द्वारा संबंद्धता हेतु प्रशासी विभाग यथा मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार से उक्त आवेदन के अग्रसारण सहित विभाग के सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर वांछित होने की बात बताई गई। इस समस्या के समाधानार्थ, कार्यकारिणी समिति द्वारा विधिवत प्रशासी विभाग से वांछनीय दास्तावेज़ों को उपलब्ध कराने का आग्रह पूर्व में किया जा चुका है, साथ ही समिति के सभापति द्वारा इस हेतु व्यक्तिगत तौर पर विभागीय सचिव से भी इस आशय का आग्रह किया जा चुका है परन्तु मामला अभी भी विभाग के स्तर से लंबित है। प्रशासी विभाग द्वारा अभी तक वांछित दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने का संभवत यह कारण बताया जा रहा है कि चूँकि नेतरहाट विद्यालय पूर्ण रूप से एक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रदत्त एवं पोषित संस्था है, अतएव इसके पाठ्यक्रम की संबंद्वता राज्य सरकार के बोर्ड/पाठ्यक्रम से न होकर केन्द्र सरकार के बोर्ड/पाठ्यक्रम से होना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तर्क पर समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा नवोदय विद्यालय समिति का उदाहरण दिया गया जो सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध है, किन्तु इसका वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करती है। देश में ऐसे कई अन्य उदाहरण भी है जहाँ छात्र हित में राज्य सरकार द्वारा संस्था के वित्त प्रदत्त एवं पोषण होने के उपरांत भी उसकी संबद्धता सी0बी0एस0ई0 से है।

विमर्शोपरांत, मंत्री महोदया द्वारा उक्त विषय पर छात्र, विद्यालय एवं राज्य हित में विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध कराने हेतु आ रही तकनीकी अड़चनों को विभाग एवं सरकार स्तर से स्वतः प्रयास कर समाधान करने का आश्वासन दिया गया।

(ii) विगत बैठक की कार्यवाही की कंडिका 4 (क) एवं (ख) में विद्यालय परिसर अंतर्गत किये जाने वाले भवनों के प्रस्तावित जीर्णोद्वार/विस्तार/नवनिर्माण विषयक कार्यो की प्रगति की समीक्षा का वर्णन है। समीक्षा के क्रम में प्राचार्य–सह–सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में अत्यधिक

धीमी प्रगति एवं शिथिलता से कार्य संपादन करने की सूचना दी गई। यह भी बताया गया कि विभाग के अभियंता कार्यस्थल पर नहीं रहते है एवं जिन 2 आश्रमवर्गों अर्थात 6 आश्रमों के जीर्णोद्वार एवं नवनिर्माण कार्य के पूर्ण होने की तय सीमा, कार्य प्रारंभ तिथि से 3 महीने की दी गई थी, वह करीब 10 महीनें बीत जाने के पश्चात भी पूर्ण नहीं है एवं निकट 2–3 महीनों में भी इसकी संभावना नहीं है। इस हेतु कार्यकारिणी स्तर से इसकी विधिवत सूचना भवन निर्माण विभाग को तथा विद्यालय स्तर से कई बार इस आशय का मौखिक निर्देश दिया गया किन्तु विभाग का शिथिल रवैया जारी है।

पूर्ण प्रसंग पर समिति के सदस्यगण तथा अध्यक्ष द्वारा घोर आपत्ति जताई गई एवं विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य एवं कार्यकारिणी समिति को भवन निर्माण विभाग से तय सीमा में **Result oriented work** कराने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य को यह भी निदेश दिया गया कि विद्यालय के कर्मीगण एवं कार्यकारिणी समिति से सहयोग से सामंजस्य स्थापित कर भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रावधानानुसार साप्ताहिक/पाक्षिक निरीक्षण करें तथा कार्यो में त्वरित प्रगति हेतु निरंतर निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को शिकायत/रिपोर्ट करें ताकि विद्यालय एवं छात्र हित में उक्त कार्य ससमय पूरा किया जा सकें।

4. मद सं० 3 : वित्तीय वर्ष 2015–16 के विद्यालय बजट प्रस्ताव की समीक्षा एवं अनुमोदन।

नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के नियम –12 –**सामान्य निकाय के अधिकार एवं कार्य** के उपनियम (i) में विहित प्रावधानानुसार विद्यालय के बजट पर विवरण एवं स्वीकृति विषयक कार्य एवं अधिकार सामान्य निकाय को सुपुर्द है।

विद्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 के योजना एवं गैर योजना मद का बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति द्वारा दी जा चुकी है, साथ ही गत वर्ष नवम्बर माह में इसे विभाग को समर्पित भी किया जा चुका है।

समीक्षोपरांत विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

विवरणी निम्न हैः–

1. मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा– 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 04 नेतरहाट आवासीय विद्यालय (आवासीय विद्यालय सहित)
   गैर योजना मद का प्राक्कलित राशि – **कुल रू० 4,57,96,000.00**
   (रूपये चार करोड़ संतावन लाख छियानबे हजार) मात्र।
2. गैर योजना अनुदान मद का प्राक्कलित राशि – **कुल रू०11,87,68,000.00**
   (रूपये ग्यारह करोड़ सतासी लाख अड़सठ हजार) मात्र।
3. मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–796
   योजना मद भवनों आदि के जीर्णोद्धार, विस्तार एवं नव निर्माण
   कार्य हेतु प्राक्कलित राशि– **कुल रू० 29,00,69,081.00**
   (रूपये उनतीस करोड़ उनहतर हजार एकासी) मात्र।

5. मद सं० 4 : विद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन (दिसम्बर 2013–14) तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14: चार वर्ष के प्रस्तुतीकरण तथा अनुमोदन।

प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय '**समिति**' का वार्षिक प्रतिवेदन (दिसम्बर 2013 से मार्च 2015 तक) को समिति के समक्ष रखा गया। उक्त प्रतिवेदन में विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों द्वारा विद्यालय एवं छात्र उन्नयन हेतु सम्पादित किये गये कार्यो की विवरणी है। साथ ही कार्यकारिणी समिति तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा किये जा रहे कई उपयोगी कार्यो की भी विवरणी है।

उक्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत विद्यालय प्राचार्य को विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट कोटि का शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक वातावरण एवं अन्य उपलब्धियों हेतु बधाई दी गई। कार्यकारिणी स्तर से विद्यालय को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सभापति सहित सभी अन्य सदस्यों को भी साधुवाद दिया गया।

विद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14, कुल 4 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अंकेक्षण कार्य कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत (चार्टेड अकाउटेन्ट) एजेन्सी S.B.N. & ASSOCIATES द्वारा किया गया है तथा कार्याकारिणी की बैठक में इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। विदित हो कि समिति की नियमावली नियम 12– सामान्य निकाय के अधिकार एवं कार्य उप–नियम– 1 में विहित प्रावधानानुसार विद्यालय का अंकेक्षित लेखा विषयक कार्य एवं अधिकार सामान्य निकाय को सुपुर्द है। अवलोकनोपरांत विद्यालय द्वारा प्रस्तुत कुल 4 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

6. मद सं० 5 : नेतरहाट विद्यालय को, उसकी स्थापना पर वर्ष 1954–55 में बिहार सरकार द्वारा सुपुर्द लगभग 460 एकड़ भू–खण्ड एवं अन्य परिसम्पतियों की, लातेहार जिला भू–सर्वक्षण व बन्दोवस्त कार्यालय द्वारा भू–सर्वे आधारित वर्ष 2004–05 में अंतिम प्रकाशनोपरांत परिलक्षित कतिपय गंभीर विचलन की स्थिति की समीक्षा।

नेतरहाट विद्यालय को उसके स्थापना वर्ष 1954 के पूर्व तथा उसके उपरांत, कालक्रम में सरकार के स्तर पर रैयती भूमि 189.18 एकड़; खास महल भूमि 218.30 एकड़; वन भूमि 45.07 एकड़; लोकनिर्माण विभाग की भूमि 0.90 एकड़; जिला परिषद् की भूमि 7.45 एकड़; इस प्रकार कुल 460.90 एकड़ हस्तान्तरित की गई थी। हस्तान्तरण के पश्चात् विद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध जमीन के सीमांकन हेतु जिला सर्वेक्षण पदाधिकारी, डालटेनगंज को पत्रांक 3940 दिनांक 7.7.1980 के माध्यम से अनुरोध किया गया था। साथ ही विद्यालय के लिए सरकार की ओर से अधिग्रहित भूमि से संबंधित सभी मूल कागजात जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में दिनांक 21.9.1991 को सत्यापन हेतु जमा किये गये थे। कई वर्षो तक कुल जमीन 460.90 एकड़ का पुर्जा निर्गत न किये जाने पर मई/जून 2014 में नेतरहाट विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम से विषयक आवेदन के प्रसंग में अंचलाधिकारी, महुआडाड़, लातेहार से संबंधन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। उत्तर स्वरूप अंचलाधिकारी द्वारा 147.36 एकड़ भूमि मात्र की सूचना दी गई। इससे यह स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा वस्तुतः कुल धारित जमीन 460.90 एकड़ में से 313.90 (460.90 – 147.36) एकड़ जमीन की पर्ची विद्यालय के पक्ष में निर्गत नहीं है। इसी क्रम में, लातेहार जिला प्रशासन द्वारा, विद्यालय को आवंटित जमीन तथा विद्यालय परिसर में स्थित संरचना **'शैले'** तथा उसके समीपवर्ती जमीन को भारत सरकार के नाम से इंगित करते हुए विगत लगभग 10 वर्षो से अधिक की अवधि से, उपायुक्त–लातेहार के शिविर कार्यालय के नाम पर चिन्हित कर दिया गया है।

सम्प्रति, विद्यालय प्रशासन को राज्य सरकार द्वारा **'शैले'** भवन सहित 460.90 एकड़ प्रदत्त भूमि के स्वामित्व के स्थान पर केवल 147.36 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यह निश्चित रूप से नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्था के प्रति न्याय नहीं हुआ दीख पड़ता है। साथ ही उपलब्ध सुसंगत सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट आभास होता है कि प्रारंभिक अवस्था में राज्य सरकार के स्तर पर विद्यालय हेतु अभिरूचि एवं प्राथमिकता दर्शाने के बावजूद बाद के वर्षो में जिला बंदोवस्त पदाधिकारी, पलामू, डालटेनगंज, लातेहार द्वारा इतनी प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली संस्था के मौलिक हितों के सर्वथा विरूद्व कार्रवाई करते हुऐ पूरे मामले को अत्यन्त ही पेचीदा बना दिया गया। विदित हो कि सर्वे सेटलमेंन्ट के पश्चात **'शैले'** भवन (लकड़ी से बना मकान) जिससे विद्यालय की शुरूआत हुई थी, प्राचार्य आवास तथा सिकरूम हुआ करता था को केन्द्र सरकार के कब्जे में चले जाने की बात को संज्ञान में लाया गया तथा 313.90 एकड़ की जमीन भी केन्द्र सरकार एवं कई अनाधिकृत अतिक्रमणों के फलरूवरूप वर्त्तमान में विद्यालय के स्वामित्व में नहीं है। वर्णित स्थिति में विद्यमान समस्या के समाधान हेतु कुछेक विकल्पों पर विचार किया गया। प्रथम विकल्प के रूप में सर्वेक्षण उपरांत अंतिम प्रकाशन में

अभिलिखित त्रुटि के निराकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायधीश, लातेहार के न्यायालय में सिविल सूट दायर किया जाय। द्वितीय विकल्प के रूप में सिविल सूट में अत्यधिक विलंब एवं कोर्ट फी के रूप में अत्यधिक राशि जमा करने की बाध्यता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये, माननीय उच्च न्यायलय, झारखंड में समिति की ओर से याचिका दायर की जाय। इसके अतिरिक्त अंतिम विकल्प के रूप में संदर्भित विषय की जटिलता से उत्पन्न अनावश्यक समस्या के त्वारित समाधन हेतु माननीया मंत्री महोदया ने प्रशासी विभाग के स्तर पर सांगोपांग समीक्षा उपरांत संलेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य मंत्री परिषद् के विचारार्थ तथा स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष द्वारा इसके समाधानार्थ राज्य मंत्री परिषद् की एक बैठक नेतरहाट में करने तथा तद्नुसार त्वरित निर्णय लिये जाने का भी आवश्वासन दिया गया।

बैठक के दौरान वर्त्तमान में विद्यालय को उपलब्ध 147.36 एकड़ जमीन पर भविष्य में विद्यालय के स्वामित्व को बरकरार रखने हेतु सीमांकन कराने का एकमत हुआ तथा माननीय मंत्री महोदया द्वारा इस आशय का विद्यालय प्राचार्य तथा कार्यकारिणी समिति को निदेश दिया गया कि उक्त सीमांकन कार्य यथा शीघ्र सुनिश्चित कराया जाय।

7. मद सं० 6 : नेतरहाट विद्यालय के पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2015–16 से सी०बी०एस०ई० से संबद्ध विषयक बोर्ड को समर्पित आवेदन की प्रगति की समीक्षा :–

इस एजेण्डा बिन्दु के संदर्भ में परिचर्चा, तथ्यों एवं निर्णय का अवतरण इसी कार्यवाही की कंडिका 3 (i) से प्राप्त किया जा सकता है।

8. मद सं० 7 : शैक्षणिक सत्र 2016–17 से नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा संचालन का प्रभार झारखण्ड अधिविद्य परिषद (JAC) के स्थान पर नेतरहाट विद्यालय समिति को सुपुर्द किए जाने के संबंध में विचार–विमर्श :–

नेतरहाट विद्यालय की स्थापना सन् 1954 के पश्चात विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संचालन कई दशकों तक विद्यालय स्तर से होता रहा है। बिहार विभाजन के पश्चात तथा झारखण्ड राज्य के गठनोपरान्त विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची को सुपुर्द की गई। विदित हो कि नेतरहाट विद्यालय स्थापनाकाल से एक अति प्रतिष्ठित संस्था के रूप में राज्य ही नही वरन् देश–विदेश में प्रख्यात रहा है। विद्यालय की विशेषता निर्धनतम से निर्धनतम सामाजिक वर्ग के होनहार एवं उत्कृष्ट छात्रों को उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेधा के आधार पर चयनित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय संस्कारों एवं कई अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों मे उत्कृष्ट ज्ञान देना रहा है। यहाँ के छात्र समाज के कई क्षेत्रों में अपनी कीर्ति पताका लहरा रहे हैं एवं देश–विदेश में विद्यालय का नाम रौशन कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा यह बताया गया कि पूर्व के वर्षों में जब प्रवेश परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित होती थी, उस वक्त नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 20–25 हजार से अधिक हुआ करती थी एवं चयन प्रक्रिया के माध्यम से केवल मेधावी छात्रों का ही नामांकन हो पाता था। विद्यालय प्राचार्य द्वारा वर्त्तमान में झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मात्र 2000–3000 की संख्या में छात्रों द्वारा आवेदन समर्पित किए जाने की बात बतायी गई । बैठक के दौरान विद्यालय प्रवेश परीक्षा एवं विद्यालय की अन्य विशेषताओं का व्यापक प्रचार–प्रसार न होने के विषय पर भी चिन्ता प्रकट की गई।

विमर्शोपरान्त छात्र, विद्यालय एवं राज्य हित में शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संचालन का प्रभार नेतरहाट विद्यालय समिति के स्तर से किए जाने का निर्णय लिया गया। तत्संबंधी पत्र विद्यालय प्राचार्य, कार्यकारिणी एवं सामान्य निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को सौपेंगें।

9. मद सं 8 : नेतरहाट विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के, उनके अभिभावकों के प्रतिवर्ष आय आधारित वर्गीकरण,प्रारंभिक वर्ष (1954–55) तथा वर्ष 1983 में किए गए पुनरीक्षित 'वर्गीकरण' की समीक्षा तथा आवश्यकतानुसार सम्प्रति प्रभावी वर्गीकरण के संशोधन तथा अद्यतनीकरण पर विचार विमर्श :–

नेतरहाट विद्यालय की स्थापना की मौलिक अवधारणा राज्य में निवासित निर्धन से निर्धनतम छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर उत्तम कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराने की रही है। तदनुसार विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि का निर्धारण उनके अभिभावक के मासिक आय के आधार पर **'क'** से **'च'** कोटि के रूप में की गई है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1983 में ज्ञापांक 1940 द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि का पुनर्निधारण किया गया एवं अभी तक लगभग 31 वर्षों के उपरान्त भी आय का पुनर्वगीकरण नहीं किया गया है। 31 वर्षो की लम्बी अवधि में सभी वस्तुओं के मूल्य,विभिन्न मदों के खर्च में तथा सभी वर्ग के अभिभावकों के आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से विद्यालय में सम्प्रति **"आय वर्गीकरण"** में संशोधन कर उसका पुनर्निधारण किया जाना स्वभाविक एवं आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु कार्यकारिणी समिति के सभापति द्वारा संदर्भित विषय की पूर्णरूपेण अध्ययन तथा समीक्षा उपरान्त प्रतिवेदन हेतु राँची स्थित बाह्य एजेंसी–SBN & Associates (CA) को कार्य दायित्व सुपुर्द किया गया तथा दो अलग–अलग विधियों यथाः–**1-Cost Inflation Index Approach** तथा **2- Consumer price Index Approach** प्राप्त किया गया। उक्त प्रतिवेदन की स्वीकृति कार्यकारिणी स्तर पर दी जा चुकी है एवं समिति की नियमावली, नियम –12– सामान्य निकाय के अधिकार एवं कार्य की उप–कंडिका (vii) के अन्तर्गत विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क पद्धति का निर्धारण एवं सम्बोधन के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु सामान्य निकाय ही सक्षम है।

आय वर्गीकरण में संशोधन कर उसका पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव एक अत्यन्त ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय है जिस पर उपस्थित सदस्यों सहित अध्यक्ष का एकमत हुआ कि उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इसके पुनर्निर्धारण पूर्व प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसाओं की जाँच एवं आक्लन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से करा लिया जाय। तदनुसार प्राचार्य – सह – सदस्य सचिव को इस आशय का निदेश दिया गया कि लिये गये निर्णय के आलोक में तत्सम्बंधी प्रस्ताव वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. मद सं० 9 : नेतरहाट विद्यालय में सम्प्रति कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्त्तमान कार्यरत बल की समीक्षा तथा आवश्यकतानुसार उक्त दोनो कोटि के कर्मियों में अतिरिक्त पदों का सृजन पर विचार विर्मश :–

नेतरहाट विद्यालय समिति के गठनोपरांत शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति का दायित्व समिति को सुपुर्द है। विगत वर्षो में समिति द्वारा प्रावधानुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद पर कई नियुक्तियाँ की गई है। विद्यालय द्वारा वर्तमान में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसमें विषयवार संस्कृत –01, भौतिकीशास्त्र –02, रसायन शास्त्र – 02, प्राणी विज्ञान –01, गणित –01, कम्प्यूटर विज्ञान –01, वाणिज्य विषय –02 तथा विधि विषय –01, कुल –11 शिक्षकों तथा कृषि प्रयोगशाला सहायक –01, कृषि प्रयोगशाला भंडारी –01, रसोईया –01, सेवक –01, विद्युत मिस्त्री –01, चौकीदार –02, आदेशपाल –02, माली –04, सफाई कर्मी –02, कुल 02 तृतीय वर्गीय एवं 13 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की आवश्यकता है।

रॉची स्थित नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति के समक्ष दैनिक कार्य सम्पादन में आ रही कठिनाईयों के समाधानार्थ 01 विशेष सचिव/निजी सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर/आदेशपाल तथा चपरासी की नितांत आवश्यकता है।

सारांशतः विद्यालय हित में तथा कार्यो के सुचारू एवं ससमय सम्पादनार्थ 11 शिक्षकों, 4 तृतीय वर्गीय कर्मचारी तथा 15 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद सृजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपने स्तर से विचार करते हुए राज्य मंत्री परिषद् से स्वीकृति उपरान्त सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया गया ।

11. मद सं० 10 : कार्यकारिणी समिति के सदस्य के एक रिक्त पद (विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हेतु कर्णांकित) पर मनोनयन हेतु विचार व निर्णय :–

कार्यकारिणी समिति के पूर्व सदस्य श्री ज्योति भ्रमर तुबिद, भा.प्र.से. (सेवानिवृत) द्वारा व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र दिए जाने के कारण समिति में सदस्य का एक पद वर्त्तमान में रिक्त है। यह पद विद्यालय के भूतपूर्व छात्र द्वारा कर्णांकित है। उक्त रिक्त पद पर पूर्ववर्ती छात्र के रूप में मनोनयन के लिए निर्णय हेतु सर्व सम्मति से माननीय मंत्री महोदया को अधिकृत किया गया। इस हेतु विद्यालय प्राचार्य तथा सभापति, कार्यकारिणी समिति कुछेक पूर्ववर्ती छात्रों के नामों की सूची अन्य विवरण सहित अध्यक्ष को सौपेंगे।

11. अन्यान्य मद सं० (क) : झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2015 में नेतरहाट विद्यालय के छात्रों की परिणामों की समीक्षा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा प्रकाशित माध्यमिक परीक्षाा 2015 के परिणामों के संदर्भ में नेतरहाट विद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। परीक्षा में शामिल कुल 78 विद्यार्थियों में 42 विद्यार्थियों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये, 30 विद्यार्थियों द्वारा 80–89 प्रतिशत अंक, 05 विद्यार्थियों द्वारा 70–79 प्रतिशत अंक तथा 1 विद्यार्थी द्वारा 60–69 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गए। इस प्रकार कुल 78 विद्यार्थियों में सभी 78 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तथा **राज्य स्तरीय मेधा सूची** में केवल शीर्षतम स्थान को छोड़ **द्वितीय स्थान से पन्द्रहवें स्थान तक** नेतरहाट विद्यालय के छात्रों ने अपनी कीर्ति पताका लहरायी है। विद्यालय के माध्यमिक परीक्षा परिणामों के उत्कृष्ट एवं सफल प्रदर्शन हेतु कार्यकारिणी समिति सहित विद्यालय के प्राचार्य एवं सम्पूर्ण विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी गयी।

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिणाम 2015 के विश्लेषणोपरांत यह दृष्टांत हुआ कि परीक्षा में सम्मिलित मात्र 26 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी से 18 तथा द्वितीय श्रेणी से 3 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की, जबकि 02 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उक्त परिणाम पर समिति द्वारा मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा परीक्षाफल बेहतर करने का निर्देश विद्यालय प्राचार्य को दिया गया।

(ख) विगत तीन वर्षो में विद्यालय की क्या उपलब्धी रही ? कितने छात्रों ने क्या परिणाम दिया ? तुलनात्मक विवरणी की समीक्षा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा के विगत तीन वर्षों यथा शैक्षणिक वर्ष 2012, 2013, तथा 2014 के परिणामों के समीक्षा किये गए। विश्लेषणोपरांत यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों ने आशा के अनुरूप उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है एवं विगत तीनों वर्षों में **राज्यस्तरीय मेधा सूची में क्रमशः शीर्ष 14, 13 तथा 16 स्थानों पर अपनी कीर्ति पताका लहरायी है** साथ ही क्रमशः 12, 36, एवं 57 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं। विद्यालय का परीक्षाफल शत–प्रतिशत रहा है। उक्त सफलता हेतु समिति द्वारा विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए निरंतर इसी प्रकार के प्रदर्शन की आकांक्षा व्यक्त की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2012–13 के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिणामों के विश्लेषणोपरांत पाया गया कि वर्ष 2013–14 में केवल 08 विद्यार्थियों परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें प्रथम श्रेणी से 06 तथा द्वितीय श्रेणी से 02 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। वर्ष 2014 में कुल 09 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें 08 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से एवं 01 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। अवलोकनोपरांत उक्त परिणामों में अभ्यर्थियों की अत्यधिक कम संख्या होने पर चिंता व्यक्त की गई तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में शत–प्रतिशत नामांकन एवं परीक्षाफल हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश विद्यालय प्राचार्य को अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

(ग) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा संचालित प्रतिवर्ष माध्यमिक परीक्षा परिणाम की घोषणा उपरांत अधिकांश छात्रों का विद्यालय से अन्य संस्थानों–विशेषकर कोचिंग संस्थान–की ओर पलायन की पद्धति पर रोकथाम अथवा नियंत्रण हेतु विचार–विमर्श।

नेतरहाट विद्यालय में माध्यमिक परीक्षा उपरांत अधिकांश छात्रों का विद्यालय से पलायन जारी है। यह पलायन मुख्य रूप से कोचिंग संस्थानों तथा अन्य बाहरी संस्थानों में नामांकन के कारण होता है। फलस्वरूप, विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में नगण्य की संख्या में छात्रों की उपस्थिति रहती है, जिससे विद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रतिस्पर्द्धा के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समेकित रूप से कक्षा छः से बारहवीं तक उपलब्ध कुल 700 सीटों मे से केवल 400–500 विद्यार्थियों की उपस्थिति एक अत्यंत ही चिंता का विषय है जिससें विद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा धूमिल होती है। विचार–विमर्श के क्रम में सदस्यों द्वारा विद्यालय के CBSE बोर्ड से संबद्धता न होने, कोचिंग संस्थानों के प्रति छात्रों का बढ़ता आकर्षण एवं रूझान, विद्यालय में विशेषकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कुशल एवं सक्षम शिक्षकों की अनुपलब्धता, प्रतिस्पर्द्धा एवं शैक्षणिक वातावरण का अभाव बताया गया। उक्त समस्या के समाधानार्थ माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा प्राचार्य को शैक्षणिक वातावरण के सृजन तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कार्यरत शिक्षकों को मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया गया। समिति में उपस्थित एक सदस्य डॉ० अशोक कुमार चौधरी, प्रो०– वनस्पतिशास्त्र, रांची विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से समय–समय पर शिक्षकों एवं प्रोफेसरों की टीमों को विद्यालय भेजने की इच्छा व्यक्त की गई जिससे छात्रों को उचित शैक्षणिक मार्गदर्शन मिल सके। साथ ही उन्होंने अपने स्तर से विद्यालय के सभी शिक्षकों के **Exposure** हेतु आगामी वर्षावकाश अवधि में राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान में उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाने की बात कही गयी। श्री चौधरी के उक्त प्रस्ताव पर समिति के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष द्वारा उनका आभार प्रकट कर उन्हें धन्यवाद एवं साधुवाद दिया गया तथा प्राचार्य को निदेश दिया गया कि वे शीघ्र तत्संबंधी प्रस्ताव, पत्र के माध्यम से श्री चौधरी को समर्पित करेंगे ताकि आगामी वर्षावकाश की अवधि में विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कराया जा सके।

(घ) वार्षिक बजट के व्यय की गई राशि की समीक्षा।

नेतरहाट विद्यालय के स्थापनाकाल से तथा समिति के गठनोपरांत इसके सभी प्रकार के वित्तीय आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा की जाती है। विद्यालय समिति के वित्तीय प्रबंधन यथा बजट सूत्रण से लेकर बजटीय व्यय की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है। विभिन्न स्तरों में विद्यालय प्रशासन द्वारा सर्वप्रथम बजटीय प्राक्कलन का सूत्रण, कार्यकारिणी समिति एवं सामान्य निकाय (सक्षम स्तर) से इसका अनुमोदन, ससमय प्रशासी विभाग में इसका समर्पण, प्रशासी विभाग द्वारा प्रावधानित बजट की संसूचना एवं राशि उपलब्ध कराना, कार्यकारिणी समिति द्वारा उपलब्ध प्रावधानित बजट को पूर्व में समर्पित किये गए बजटीय प्राक्कलन के आलोक में आंतरिक मदवार वितरण एवं अंत में विद्यालय प्राचार्य (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से व्यय सुनिश्चित करना है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा विद्यालय समिति को प्राप्त योजना तथा गैर–योजना मद की राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा विभिन्न सक्षम स्तर जहाँ से राशि प्रावधानित की जाती है तथा विद्यालय स्तर पर कार्यरत क्रय समिति संबंधी सभी व्यय विवरणी की मांग की गयी तथा प्राचार्य को आवश्यक अनुलग्नकों सहित वांछित प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया गया।

(ङ) अध्यक्ष की अनुमति से प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय द्वारा विद्यालय में वर्ष 2013 में समिति द्वारा विधिवत नियुक्त शिक्षक, उपदेष्टा, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्राचार्य की नियुक्ति उपरांत परीक्ष्यमान अवधि (1 वर्ष) के विस्तारीकरण संबंधी कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय का मुद्दा उठाया गया।

यह बताया गया कि उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों तथा प्रशासनिक पदाधिकारी ने विद्यालय में योगदानोपरांत अपनी सेवा काल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए है, साथ ही विद्यालय प्राचार्य ने भी 1 वर्ष 7

महीनों की सेवा पूर्ण कर ली है। नेतरहाट विद्यालय समिति अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु गठित **नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2011** में कर्मियों के परीक्ष्यमान अवधि के विस्तारीकरण संबंधी कोई प्रावधान अंकित नहीं है। उक्त नियमावली में सभी प्रकार के कर्मियों हेतु 1 वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि का प्रावधान किया गया है एवं 1 वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि पूर्ण होने के अगले 3 महीनों के अंदर सेवा संपुष्टि संबंधी निर्णय के संसूचन की बात अंकित है।

नियमावली में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के प्रावधानों के अंकित होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित सभी कर्मियों की परीक्ष्यमान अवधि के विस्तारीकरण संबंधी कार्यकारिणी समिति का यह निर्णय नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यह प्रावधानों के अनुकूल भी नहीं है। प्राचार्य द्वारा यह भी बताया गया कि कार्यकारिणी के इस त्रुटियुक्त निर्णय से कर्मियों में हताशा एवं असुरक्षा का भाव है जो छात्र एवं विद्यालय हित में कदापि भी नहीं है।

विमर्शोपरांत, कर्मचारी तथा विद्यालय हित में कार्यकारिणी समिति द्वारा उपर्युक्त वर्णित उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा प्राचार्य की परीक्ष्यमान अवधि के विस्तारीकरण संबंधी निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया गया तथा वर्णित सभी 10 कर्मियों की सेवा संपुष्टि उनकी योगदान तिथि से 1 वर्ष के पूर्ण होने की तिथि से करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में उपदेष्टा सहित 8 शिक्षकों तथा 1 प्रशासनिक पदाधिकारी की सेवा संपुष्टि संबंधी पत्र सामान्य निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य के माध्यम से निर्गत किया जाएगा तथा सभी को इस आशय की संसूचना प्राचार्य (नियुक्ति पदाधिकारी) भी अपने स्तर से भी प्रेषित करेंगे। प्राचार्य की सेवा संपुष्टि संबंधी पत्र सामान्य निकाय की अध्यक्ष अपने स्तर से उन्हें सीधे प्रेषित करेंगी।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

Neelam 29/5/15

(डॉ० नीरा यादव)
मंत्री,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार–सह –
अध्यक्ष, सामान्य निकाय
नेतरहाट विद्यालय समिति।

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, झारखण्ड-सह-उपाध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्रीमती आराधाना पटनायक, भा.प्र.से, सचिव, मा.सं.वि.वि.,झारखण्ड-सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, मा.सं.वि.वि. झारखण्ड सरकार/आयुक्त, पलामू-सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.(से.नि.),नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववत्ती छात्र-सह-सदस्य,नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री सुशील कुमार चौधरी, भा.प्र.से.(से.नि.) नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र-सह-सदस्य,नेतरहाट विद्यालय समिति/डॉ० अशोक कुमार चौधरी, प्रोफेसर, वनस्पति शास्त्र, रांची विश्वविद्यालय सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/उपायुक्त, लातेहार, सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री एच.के.पी. सिन्हा, नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक-सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/श्री शीतल दास मेहता, नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक-सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/वित्त विभाग के प्रतिनिधि (प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत) सह-सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय -सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Neelam 20/5/15

(डॉ० नीरा यादव)
मंत्री,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार –सह –
अध्यक्ष, सामान्य निकाय
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति
सामान्य निकाय की बैठक की उपस्थिति

दिनांक–20.05.2015

क्र०	नाम	सामान्य निकाय में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1.	डा. नीरा यादव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	[signature] 20.5.15
2.	विकास आयुक्त, भा०प्र०से० झारखण्ड, राँची।	उपाध्यक्ष	—
3.	श्री सुशील कुमार चौधरी, (भा०प्र०से०,से.नि.) (नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववत्ती छात्र)	सदस्य	—
4.	श्री नरेन्द्र भगत (भा०प्र०से०, सेवानिवृत्त) पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, अग्रवाल नर्सिंग होम के निकट, बरियातु, राँची।	सदस्य	[signature] 20.5.2015
5.	श्रीमती आराधना पटनायक, भा०प्र०से०, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	—
6.	प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	[signature] 20/5/2015
7.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	—
8.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	—
9.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य)	सदस्य	[signature] 20/05/2015
10.	श्री एच.के.पी. सिन्हा, (नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक)	सदस्य	[signature] 20/5/15
11.	डा० अशोक कुमार चौधरी, प्रोफेसर, वनस्पति शास्त्र, राँची विश्वविद्यालय।	सदस्य	[signature] 20.5.15.
12.	श्री शीतल दास मेहता, (नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक)	सदस्य	—
13.	श्री बिमलांशु शेखर मल्लिक, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य सचिव	[signature]
14.	डा० मनीष रंजन, निदेशक, झारखण्ड [illegible]	विशेष आमंत्रित सदस्य	[signature]

ज्ञापांक :– जी–59/ने.वि./प्रा./2015–1293 नेतरहाट, दिनांक : 15.06.2015

प्रतिलिपिः– **विकास आयुक्त**, झारखण्ड–सह–उपाध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्रीमती आराधाना पटनायक**, भा.प्र.से., सचिव, मा.सं.वि.वि., झारखण्ड–सह–सदस्य,नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्री मनीष रंजन**, भा.प्र.से., निदेशक–माध्यमिक शिक्षा, मा.सं.वि.वि. झारखण्ड सरकार/**आयुक्त, पलामू**–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्री नरेन्द्र भगत**, भा.प्र.से.(से.नि.),नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववत्ती छात्र–सह–सदस्य,नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्री सुशील कुमार चौधरी**, भा.प्र.से.(से.नि.) नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**डॉ० अशोक कुमार चौधरी**, प्रोफेसर, वनस्पति शास्त्र, रांची विश्वविद्यालय–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**उपायुक्त, लातेहार**–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्री एच. के.पी. सिन्हा**, नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**श्री शीतल दास मेहता**, नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक–सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति/**वित्त विभाग के प्रतिनिधि (प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत)**– सह–सदस्य, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Bimalanshu S Mallick
15/06/15

(प्रो० बिमलांशु शेखर मल्लिक)
प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव
सामान्य निकाय
नेतरहाट विद्यालय समिति
नेतरहाट।